

पत्र संख्या-स०नि०-सामान्य बजट/आय-व्ययक/2025-26/
प्रेषक,

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1- अपर आयुक्त, राज्य कर,
नोएडा जोन नोएडा।
- 2- समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(सम्पत्ति अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: ०४ अक्टूबर, 2024

विषय:-आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय-व्ययक अनुमान के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय-व्ययक अनुमान तैयार कराकर शासन को शीघ्र प्रेषित किया जाना है। अतः अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत निम्न लेखाशीर्षक/मदों के अन्तर्गत वांछित धनराशि का पूर्ण औचित्य सहित अनुमान/विवरण तैयार कर उपलब्ध कराया जाना है:-

क०सं०	लेखाशीर्षक	मद संख्या	कार्य की प्रकृति
1.	2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन- 051-निर्माण-03-वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य	29-अनुरक्षण	विभागीय कार्यालय भवनों में मरम्मत कार्य हेतु
2.	2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य	29-अनुरक्षण	विभागीय आवासीय भवनों में मरम्मत कार्य हेतु
3.	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण	24-वृहद् निर्माण कार्य	विभागीय भूमि पर नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु
4.	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-31-सहायता केन्द्र/विभागीय कार्यालय भवनों/आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य	25-लघु निर्माण कार्य	विभागीय कार्यालय/आवासीय भवनों में छोटे (पेटी वक्सी) लघु निर्माण कार्य
5.	4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास	24-वृहद् निर्माण कार्य	विभागीय आवासीय भवनों के नये कार्य (वृहद् निर्माण कार्य) हेतु

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत उपरोक्त लेखाशीर्षक/मदों में वांछित धनराशि (रु० लाख में) का पूर्ण औचित्य सहित अनुमान/कराये जाने वाले कार्यों का विवरण (प्रस्ताव) जोनवार तैयार कराकर विशेष पत्रवाहक/ई-मेल ctconshqlu-up@nic.in के माध्यम से प्रत्येक दशा में दिनांक 14-10-2024 तक मुख्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पु०प०सं० व दिनांक// उक्त।

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त आयुक्त (स्था०अराज०/प्रभारी-नजारत) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नाजिर, मुख्यालय को समयान्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित कर दें।
2. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।